न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, अम्बेडकरनगर।

UPAN010034262022

Bail Application/1756/2022

1. तेजस्वी जायसवाल पुत्र प्रेमसागर जायसवाल निवासी चिन्तौरा चौराहा, मकान नं. 431,मुबारकपुर,टाण्डा,अम्बेडकरनगर।
2. सुरजीत उर्फ सूर्यजीत वर्मा पुत्र रामकेवल वर्मा निवासी अशरफपुर,शादीपुर, अम्बेडकरनगर।
3. शिवमगुप्ता पुत्र राम बाबू गुप्ता निवासी 122 अलीगंज टाण्डा,अम्बेडकरनगर
4. आकाश गुप्ता पुत्र राम प्रकाश गुप्ता निवासी 122 अलीगंज,टाण्डा,अम्बेडकरनगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार.....विपक्षी

मु0अ0सं0 150/2018
धारा–147,148,149,307 भा0दं0सं0
व धारा–3(2)V एससी/एसटी एक्ट
व धारा–7 कि.लॉ अमेंडमेंड एक्ट
थाना–अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।

11.10.2022

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–438 जा.फौजदारी प्रार्थी/अभियुक्तगण तेजस्वी जायसवाल, सुरजीत उर्फ सूर्यजीत वर्मा,शिवम गुप्ता व आकाश गुप्ता की ओर से उपरोक्त अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोग कथानक के तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रकरण के प्रार्थी/वादी अरविन्द कुमार चमार पुत्र श्री लाल बहादुर चमार निवासी रसूलपुर मोलना च थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा संबंधित थाने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गइ कि, प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है व राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज सददरपुर अम्बेडकरनगर में इमरजेंसी रजिस्टेशन काउण्टर पर लिपिक पद पर कार्य करता है। आज दिनांक 20/21.11.2018 को मैं डयूटी पर मौजूद था कि श्यामबाबू गुप्ता अपनी माता जी को इलाज हेतु अस्पताल ले आये। अस्पताल से रिफर होने के पश्चात एम्बुलेंस हेतु अपने समर्थको सचिन गुप्ता,तेजस्वी जायसवाल, अन्तिम पाण्डेय,सूरजीत वर्मा, सत्येन्द्र नाथ पाण्डेय, शिवम गुप्ता,बृजेश मौर्या, आलोक मौर्य, आलोक कुमार, रामहित वर्मा, आकाश गुप्ता के साथ एक राय होकर व असलहो से लैस होकर हंगामा करने लगे। इसी बीच श्यामबाबू व उनके समर्थको के द्वारा जान से मारने की नीयत से असलहा से फायर किये जिससे गोली लगने से मैं लहूलुहान हो गया। अस्पताल में उपस्थित लोगों में भय व्याप्त हो गया। लोग अपने जूता चप्पल छोड़कर भागने लगे। भर्ती मरीजों के साथ लोग भागने लगे। पूरे अस्पताल में अराजकता फैल गयी। मुझे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। उक्त आशय की तहरीर पर संबंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन है कि, प्रार्थीगण निर्दोष है तथा उक्त मुकदमें में झूठा फंसाये गये है। प्रार्थीगण कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। शिवम के पिता रामबाबू गुप्ता व प्रार्थी के भाई राम मोहन की हत्या वर्ष 2013 में तत्कालीन टाण्डा विधायक अजीमुल हक पहलवान के इशारे पर की गयी थी जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2017 में प्रार्थी शिवम की मां श्रीमती संजू देवी भाजपा से चुनाव लड़ी और अजीमुल हक पहलवान को पराजित की जिससे वह प्रार्थी व उसके परिवार से नाराज थे। दिनांक 20/21.11.2018 की रात में अजीमुल हक पहलवान के समर्थको द्वारा खुद को संजू देवी विधायक का छद्म समर्थक दर्शित कर मेडिकल कालेज में हंगामा किया गया। गोली चलाई गयी। संजू देवी विधायक से संबंधित कई गाड़ियो में आगजनी की गयी। उसी हंगामे में प्रस्तुत मुकदमें के कथत चोटहिल व वादी को अग्नेयास्त्र की चोट आयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का समुचित कारण दर्शित नहीं है। वाद उपरोक्त में कोई माकूल शहादत नहीं है। अग्रिम जमानत पर अवमुक्त करने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा–438 जा.फौ.के तहत प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 की धारा–18 यह उपबंध करती है कि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना– संहिता की धारा–438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफतारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि धारा–438 प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियोग कथानक में अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण–दोष पर टिप्पणी किये, प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण तेजस्वी जायसवाल, सुरजीत उर्फ सूर्यजीत वर्मा,शिवम गुप्ता व आकाश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–11.10.2022

(रत्नेश मणि त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.5928